

2-3104/19



बिहार BIHAR

Serial No. 2970

20360 93 9000 09 Danapur AC 696886

श्री मधेश्वर कुमार, (पत्थर No. 2885) कोल
धाना - विठम - जिला - पटना

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 05/03/2019 by Madheshwar Kumar
A Stamp Duty of Rs. 247400/- and other Fees of Rs. 63400/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants
and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 2885 in Book No. 1, Volume No. 57 on pages from 374 to
386 and has been preserved in total 13 pages in C.D. No. 9 / Year 2019

2025
5/3/19

Signature with Date
(Aparna Shiva)
- Registering Officer, Danapur

Date: 05/03/2019 Token No: 3104/2019

मंगलेश्वर प्रदे

5-3-2019 5/3/19

वैकलिस्ट से मिलान किया।
9/3/19
रेकॉर्ड से मिलान किया।
9/3/19
दस्तावेज जाचीं
9/3/19
हस्ताक्षर

DEED OF GIFT
(दानपत्र)

यह दानपत्र आज दिनांक- 05/03/2019 ई0 को

लेख्यकारीगण ने लेख्यधारिणी के पक्ष में निष्पादित किया।



श्री मधेश्वर कुमार धाना
4 श्रीलक्ष्मी का दान पत्र मिलान
से 2885 का कागज पटकार
रजि 2885 मिलान
मंगलेश्वर कुमार

दस्तावेज में कोई सुधार
नहीं है और यह सब सही-सही प्रकृत है।

1- लेख्यकारीगण का नाम एवं पूरा पता-

(1) श्री मधेश्वर कुमार पिता का नाम स्व० बच्चु सिंह।

Mob- 9771560359,

(2) श्री मंगलेश्वर सिंह पिता का नाम स्व० बच्चु सिंह।

Mob- 9470631029

दोनो का निवास स्थान- बाघा कोल, धाना- बिक्रम, पत्रालय- पतुत, जिला- पटना, (बिहार) जिन्हे इसके पश्चात लेख्यकारीगण के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, भारतीय नागरिक।

मार्च 2019
5-3-19

2- लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता-

श्रीमती प्रभावती शर्मा (SMT. PRABHAWATI

SHARMA) पुत्री स्व० बच्चु शर्मा, निवास स्थान- बाघाकोल,

धाना- बिक्रम, पत्रालय- पतुत, जिला- पटना, (बिहार) जिन्हे

इनके पश्चात लेख्यधारिणी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा,

भारतीय नागरिक। Mob- 9431364043

श्री मंगलेश्वर सिंह मकान पट्टाधारिता का पुत्र
जिला पति श्री के काठिया, प.क. 295 मधेश्वर
मंगलेश्वर सिंह
5/3/19

3- लेख्य प्रकार-

वखशीशनामा यानी दानपत्र।

(DEED OF GIFT)



मंगलेश्वर सिंह
5/3/19

4- मूल्यांकन-

अंकेन :- 32,00,000/- रुपया (बत्तीस लाख रुपया) मात्र है।

5- सम्पत्ति का विवरण-

क्षेत्रफल 8 डीसमल (आठ डीसमल) समतुल्य 3484.8 वर्गफीट
एराजी परती अवासीय कायमी नगदी वाके मौजा- कोथवों
परगना- फुलवारी, धाना- खगौल, सर्वे धाना एवं सब रजिस्ट्री
दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला पटना, जिसका धाना संख्या-
37 (सैतीस), तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या- 86 (छियासी)
सर्वे प्लॉट संख्या- 233, (दो सौ तेतीस) का अंश भाग एराजी 8
डीसमल, वो सम्पत्ति का सालाना लगान 10 रु० अलावे शेष
जमिन्दारी बिहार सरकार द्वारा अचल कार्यालय दानापुर वो
लेख्यकारी नं०- 1 का जमाबन्दी संख्या- 2049, वर्ष-2015-2016
ई० मवाजी 4 डीसमल वो लेख्यकारी नं०- 2 का जमाबन्दी
संख्या- 2050 वर्ष 2015-2016 ई० मवाजी 4 डीसमल जो
लेख्यकारीगण के नाम पर दर्ज है। जिसका चौहदी निम्नलिखित
है-

" चौहदी "

उत्तर :- राजदेव सिंह।

दक्षिण :- अयोध्या राय।

पुरब :- पार्ट प्लॉट श्री जितेश कुमार शर्मा एवं श्रीमती प्रभावती
शर्मा।

पश्चिम- पार्ट प्लॉट संख्या- 233 बन्दी कुमारी वगैरह।

राजेश कुमार
5-3-19
अयोध्या राय
5/3/19



" संदर्भ "

विदित हो कि उपर्युक्त खाना संख्या खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति सर्वे प्लॉट संख्या- 233 कि कुल एराजी 67 डीसमल है जो सर्वे खतियान मे सुपन सिंह पिता का नाम सजीवन सिंह निवास स्थान- कोथवों, का नाम दर्ज पाया गया है। जो सर्वे खतियानी रैयत सुपन सिंह अपना जीवन काल तक काबिज दखील रहकर अपना जायज वारिश मात्र एक पुत्र इन्द्रलाल सिंह एवं सम्पत्ति को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये।

यह कि सर्वे खतियानी रैयत सुपन सिंह के स्वर्गवास के बाद सभी सम्पत्ति पर इनके पुत्र इन्द्रलाल सिंह काबिज दखील मालीक मुस्तकील हुये वो इन्द्रलाल सिंह भी अपना जीवन काल तक काबिज दखील रहकर अपना जायज वारिश मात्र एक पुत्र श्री रामबाबु सिंह एवं सम्पत्ति को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये।

यह कि इन्द्रलाल सिंह के स्वर्गवास के बाद सभी सम्पत्ति पर इनके पुत्र श्री रामबाबु सिंह स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील हुये बाद मे उक्त रामबाबु सिंह ने दो किता वशिका विक्रय पत्र द्वारा श्री रामजी चौहान पिता का नाम स्व० लाल बहादुर सिंह से सर्वे प्लॉट संख्या- 233 मे मवाजी 30 डीसमल विकी किये किये है। जिसमे पहला किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दरखत दिनांक- 23/09/1989 ई० एवं निवंधन दिनांक- 25/09/1989 ई० को मवाजी 15 डीसमल विकी किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 85, पेज नं०- 171 से 176 तक वशिका नं०- 8332 वर्ष 1989 ई०, वो दुसरा किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 15/01/1990 ई० को

डा. अ. अ. अ. अ. अ.
5-3-19

अ. अ. अ. अ. अ.
5/3/19



मवाजी 15 डीसमल बिकी किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 37, पेज नं०- 115 से 120 तक वशिका नं०- 338 वर्ष 1990 ई०, जो दोनो किता वशिका विक्रय पत्र निबंधन कार्यालय सदर पटना मे निबंधित हुई है।

यह कि श्री रामजी चौहान ने उक्त श्री रामबाबु सिंह से खरीदारी मवाजी 30 डीसमल को दो किता वशिका विक्रय पत्र द्वारा श्री मिथिलेश कुमार सिंह पिता का नाम श्री रामकृपाल सिंह निवास स्थान- किशोर भवन अशोक राज पथ पटना- 6 से सर्वे प्लॉट संख्या- 233 मे मवाजी 30 डीसमल बिकी किये किये है। जिसमे पहला किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 22/02/1991 ई० को मवाजी 15 डीसमल बिकी किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 53, पेज नं०- 511 से 516 तक वशिका नं०- 1568 वर्ष 1991 ई०, वो दुसरा किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दख्त दिनांक- 22/02/1991 ई० एवं निबंधन दिनांक- 23/02/1991 ई० को मवाजी 15 डीसमल बिकी किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 53, पेज नं०- 575 से 580 तक वशिका नं०- 1601 वर्ष 1991 ई०, जो दोनो किता वशिका विक्रय पत्र निबंधन कार्यालय सदर पटना मे निबंधित हुई है, वो तिथि खरीदारी के दिन से अपना खरीदार सम्पत्ति मवाजी 30 डीसमल पर उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील चले आते थे।

यह कि उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह को अपना अवासीय भूखण्ड खरीदकर आवासीय भवन निर्माण करने हेतु रुप्यो कि आवश्यकता

मिथिलेश कुमार सिंह

5-3-19

मिथिलेश कुमार सिंह

5/3/19



था इसलिये उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह ने अपना खरीदारी कुल मवाजी 30 डीसमल को वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 05/03/1991 ई० को श्री सत्येन्द्र कुमार पिता का नाम श्री विश्वनाथ सिंह निवास स्थान- कोथवाँ, थाना एवं पत्रालय- खगौल, जिला- पटना के नाम से बिक्री किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 88, पेज नं०- 51 से 68 तक वशिका नं०- 1242 वर्ष 1991 ई०, जो निबंधन कार्यालय दानापुर मे निवधित हुई है।

श्रीधर कुमार
5-3-19

यह कि उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह उक्त मवाजी 30 डीसमल को अपने इजमाईल परिवार के रूप्यो से खरीद किये थे इसलिये खरीदारी के बाद अपना भाई श्री धीरेन्द्र कुमार के साथ खरीदारी सम्पत्ति मवाजी 30 डीसमल पर स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील चले आते थे।

मंगलेश्वर
5/3/019

यह कि उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्री धीरेन्द्र कुमार को अन्य सम्पत्ति के खरीदारी वगैरह हेतु रूप्यो कि आवश्यकता था इसलिये उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्री धीरेन्द्र कुमार खरीदारी कुल मवाजी 30 डीसमल को वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 22/02/2008 ई० को श्रीमती आशा देवी उर्फ आशा अखौरी पति का नाम श्री अविनाश कुमार उर्फ अविनाश कुमार अखौरी, निवास स्थान एवं पत्रालय- माड़ीपुर मुजफ्फरपुर, थाना- मुजफ्फरपुर, हाल निवास स्थान एवं पत्रालय- गापालगंज, थाना- गोपालगंज, जिला- गोपालगंज, के नाम से कुल मवाजी 30 डीसमल बिक्री किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०-



20. पेज नं०- 163 से 170 तक टोकन नं०- 1479 सी० डी० नं०- 3 वशिका नं०- 1231 वर्ष 2008 ई०, जो निबंधन कार्यालय दानापुर में निबंधित हुई हैं। वो तिथि खरीदारी के दिन से उक्त श्रीमती आशा देवी उर्फ आशा अखौरी स्वतंत्र रूप से काबिज दखिल मालिक मुस्तकिल चली आती थी। जिसे बाद उक्त श्रीमती आशा देवी उर्फ आशा अखौरी ने लेख्यकारीगण के नाम से दो किता वजरिये वशिका बिक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 24/04/2015 ई० को बिक्री किये है। जिसमें लेख्यकारी नं०- 1 मधेश्वर कुमार के नाम से मवाजी 4 डीसमल बिक्री किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 83, पेज नं०- 93 से 108 तक, टोकन नं०- 4219, सी० डी० नं०- 13, वशिका नं०- 4115, वर्ष 2015 ई० एवं लेख्यकारी नं०- 2 मंगलेश्वर कुमार के नाम से भी मवाजी 4 डीसमल बिक्री किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 83, पेज नं०- 61 से 76 तक, टोकन नं०- 4210, सी० डी० नं०- 13, वशिका नं०- 4113, वर्ष 2015 ई० जो दोनों किता वशिका बिक्रय पत्र निबंधन कार्यालय दानापुर में निबंधित हुई है। वो तिथि खरीदारी के दिन से लेकर आज तक लेख्यकारीगण उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति पर स्वतंत्र रूप से बहसियत सम्पत्ति के मुल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपना उपयोग वो उपभोग में लाती है वो हैं। और लेख्यकारी नं०- 1 का नाम अंचल कार्यालय दानापुर के जमाबन्दी रैयत संख्या- 2049 पर एवं लेख्यकारी नं०- 2 का नाम अंचल कार्यालय दानापुर के जमाबन्दी रैयत संख्या- 2050 पर दर्ज चला आता है। इस प्रकार लेख्यकारीगण को उपर्युक्त

मंगलेश्वर कुमार
5-3-19

मंगलेश्वर कुमार
5/3/19



खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति पर दखल-कब्जा का प्रमाण पूर्ण रूप से प्रमाणित है। यह कि लेख्यकारीगण का लेख्यधारिणी बहन है, जिन्हे लेख्यकारीगण ने अपने साथ एवं शामिल रखकर लेख्यधारिणी (बहन) को बड़े ही लार वो प्यार के साथ रहते चले आते है तथा लेख्यधारिणी बहन अपने भ्रातागण लेख्यकारीगण के सेवा टहल एवं फरमावदारी मे दिन रात लगे रहते हैं जिससे लेख्यकारीगण काफी खुश एवं प्रशन्नचित रह कर रहे है तथा लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारिणी मे काफी प्रेम मोहब्बत एवं लार प्यार बना हुआ है।

इसलिए लेख्यकारीगण को हार्दिक इच्छा हुई कि उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति को अपनी बहन लेख्यधारिणी के नाम से रजिस्ट्री से बख्शीशनामा यानि दानपत्र लिखकर दान मे दे दूँ वो आज ही से मालिक मुस्तकील बना दें।

अतएव लेख्यकारीगण अपने खुशी वो ख्याहिश से होश मे हवाश मे होकर वो रहकर वो अपने सपरिवार एवं अपने शुभचिन्तको एवं कानूनी सलाहकारो से परामर्श इत्यादि लेकर वो अपना सम्पूर्ण लाभ एवं हानि को भली भंती समझ बुझकर वो बिना किसी बाहरी उराव वो धमकाव के उपर्युक्त खाना संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को वदस्त लेख्यधारिणी (बहने) के नाम से बख्शीशनामा लिखा वो दान मे दिया जिसे लेख्यधारिणी (बहन) ने दान की सम्पत्ति को लेना सहर्ष स्वीकार वो मंजुर किया वो उपर्युक्त शय बख्शीशे सुदा हाजा पर आज के दिन से लेख्यधारिणी (बहन) को अपना सम्पूर्ण हक अधिकार वो दखल कब्जा

मंजूर है
5/3/09
b-3-15



हस्तान्तरित कर दिये एवं दे दिये तो अब लेख्यधारिणी चाहिए कि उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व आज के दिन से स्थापित करके सम्पत्ति को जिस प्रकार से चाहे अपना उपयोग वो अपभोग में लावे वो लेख्यधारिणी नाम अपनी बजाय लेख्यकारीगण के स्थान पर अंचल कार्यालय के रजिस्टर पर वो और जहाँ जहाँ जरूरी समझे इस वशिका दानपत्र के माध्यम से नामांकित करा लेगे उस वक्त लेख्यकारीगण या उनके कोई उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार का कोई आपत्ति एवं विरोध नहीं है वो नहीं होगा बल्कि आज तक जो कुछ हक अधिकार एवं दखल कब्जा लेख्यकारीगण को उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति पर हासिल था या भविष्य में आईन्दा हासिल होता रहता वह सब कुल हक अधिकार एवं दखल कब्जा आज के दिन से लेख्यधारिणी (इहन) को हासिल हुआ-वे होता रहेगा।

यह कि बाद रजिस्ट्री बख्शीशनामा यानि दानपत्र के लेख्यकारीगण या उनके अन्य कोई उत्तराधिकारीगण किसी प्रकार का कोई दावा या उजुरदारी करें तो उनकी दावा उजुरदारी वमोकाबले वशिका बख्शीशनामा यानि दानपत्र के गैर कानुनी होगा वो किसी भी अदालत में कानुनी कार्रवाई करने योग्य नहीं होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि इस विलेख में निहित सम्पत्ति/भूमि सभी प्रकार के ऋण-भार एवं स्वत्व दोष से मुक्त है और न खास महाल, गैर मजरुआ, सिलिंग, भूदान, लाल कार्ड, कैसरे हिन्द, धार्मिक न्यास बोर्ड वक्फ बोर्ड एवं अन्य किसी प्रकार की सरकारी भूमि नहीं है, जो भूमि सरकारी अर्जन से मुक्त है।

दादा इवर बमाल
5-3-19

मंजिले इमर मरे
5/3/19



इस प्रकार लेख्यकारीगण ने अपने तन-मन की पूर्ण स्वस्थयता मे अपनी स्वेच्छा से दान पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

अतएव उपरोक्त शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनो पक्षकारो ने बिना किसी दबाव के तथा अपने पूर्ण होशो हवास मे निम्नलिखित गवाहो के समक्ष हस्ताक्षर किए है।

गवाहगण-

बुध्दी कुमार सिंह
बिना स्वयं प्रमाण सिंह
नया मन्नापुर, 2 वार्ड नं
पटना
दि 05.03.2019

लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर

राधेश्वर कुमार
5-3-19

मंगलेश्वर सिंह
5/3/19

लेख्यधारिणी का हस्ताक्षर

① गौरी प्रसाद कुमार सिंह रमेश्वरी सिंह
पत्नी - श्री - भाऊ प्रसाद सिंह
शाम - नौबत
पति + माता - (वर्गीकृत)
जिला - पटना
दि 5/3/2019

प्रभावती शर्मा
5-3-19

प्रारूपकर्ता

मन्नापुर नगर मन्नापुर
मिथिला मन्नापुर
दरगाह मन्नापुर
दि 01-03-2019




नजरी नक्सा

बिकेता- (1) श्री मधेश्वर कुमार पिता का नाम स्व० बच्चु सिंह। (2) श्री मंगलेश्वर सिंह पिता का नाम स्व० बच्चु सिंह। दोनों का निवास स्थान- बाघा कोल, थाना- बिक्रम, पत्रालय- पतुत, जिला- पटना,

केता- श्रीमती प्रभावती शर्मा पुत्री स्व० बच्चु शर्मा, निवास स्थान- बाघाकोल, थाना- बिक्रम, पत्रालय- पतुत, जिला- पटना, सम्पत्ति- मौजा- कोथवों, थाना संख्या- 37, तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या- 86, सर्वे प्लॉट संख्या- 233 में एराजी 8 डीसमल।

प्रमाणित किया जाता है कि नजरी नक्सा प्रशनगत भूखण्ड में 200 मीटर के अन्दर कि भुमी का विशेषताओ को दर्शाया गया

श्रीमती प्रभा



बिकेता का हस्ताक्षर
मधेश्वर कुमार
5-3-19

केता का हस्ताक्षर
प्रभावती शर्मा
5-3-19

मंगलेश्वर सिंह
5/3/019



स्थल जाँच



9.3.2019

विकेता का हस्ताक्षर

मधुेश्वर कुमार

5-3-19

मंगलेश्वर आर्य

5/3/2019

केता का हस्ताक्षर

प्रभावती शर्मा

5-3-19



Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '33'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 183400/-**
 Addl. Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 64000/-**

Amt. Paid By N.J Stamp Paper **Rs. 1000/-**
 Amt. paid through Bank Challan **Rs. 309800/-**

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge	
FEE PAID	A1	60800	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR	1000	500
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc.Fee	100	
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	Total	1100	
	A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0			
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0					
	TOTAL-											61800	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - **63400**

Date: 05/03/2019

Registering Office
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Tuesday, 05th March 2019 by Madheshwar Kumar S/C Late Bachchu Singh by profession Others, Status - Donor

मधेश्वर कुमार
5-3-19

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 05/03/2019

Registering Office
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sudhir Kumar Singh' age '73' Sex 'M', 'S/O- Haricharan Singh', resident of 'Sabajpura, Danapur, Patna'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 05/03/2019

Registering Office
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 57 on pages on 574 -585, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-9 year 2019 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 05/03/2019

Token No. : 3104

Year : 2019

S.No. : 2870


SCORE Ver.4.1

Deed No. : d No. : 2885



Registering Office
Danapur

INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp



Certificate No. : IN-BR01927884574573R
Certificate Issued Date : 02-Mar-2019 03:05 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ bshcil01/ DANAPUR SRO/ BR-PAT
Unique Doc. Reference : SUBIN-BRBRSHCIL0102179167571529R
Purchased by : MADHESHWAR KUMAR
Description of Document : Article 33 Gift Instrument
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) : 0 (Zero)
First Party : Not Applicable
Second Party : MADHESHWAR KUMAR
Stamp Duty Paid By : MADHESHWAR KUMAR
Stamp Duty Paid (Rs.) : 2,46,400 (Two Lakh Forty Six Thousand Four Hundred only)
Reg. fee (Rs.) : 61,800 (Sixty One Thousand Eight Hundred only)
LLR & P Fee (Rs.) : 1,100 (One Thousand One Hundred only)
Miscellaneous Fee (Rs.) : 0 (Zero)
Discore SC (Rs.) : 500 (Five Hundred only) ✓
Total Amount (Rs.) : 3,09,800 (Three Lakh Nine Thousand Eight Hundred only)

Handwritten signature and date: 2-3104/19

..... Do not write or type below this line

0011072540

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



1321 24/4/15 1000 1 038742

Serial No. 4193

श्री. शिवेन्द्र कुमार राय को पत्नी. आशा देवी. पत्नी. परमाणु. 4116. 4271

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 24/04/2015 by Asha Devi Alias Asha-Akhoury. A Stamp Duty of Rs. 281600/- and other Fees of Rs. 71350/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 4116 in Book No. 1, Volume No. 83 on pages from 109 to 124 and has been preserved in total 16 pages in C.D. No. 13 / Year 2015

24/4/2015

Signature with Date

(Dhananjay Kumar Rao) Registering Officer, Danapur

Date: 24/04/2015

Token No: 4222 / 2015

DEED OF ABSOLUTE SALE

(निर्विवाद बिक्रय-पत्र)

यह निर्विवाद बिक्रय-पत्र आज 24 वीं अप्रैल, 2015 ई0 को

मुख्यकारिणी / बिक्रेता ने लेख्यधारी / क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया।



Asha Akhouri 24.4.15

आशा देवी उर्फ आशा अखौरी काय शिवेन्द्र कुमार राय की पत्नी परमाणु परीक्षा करवा ली है। Asha Akhouri 24.4.15

5. विक्रेता द्वारा केला को बिक्रय की जा रही सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

क्षेत्रफल 11 डीसमल (ग्यारह डीसमल) समतुल्य 4791.6 वर्गफीट
एराजी परती अवासीय कायमी नगदी वाके मौजा कोथवाँ
परगना- फुलवारी, थाना- खगौल, सर्वे थावाँ एवं सब रजिस्ट्री
दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला पटना, जिसका थाना संख्या-
37 (सैतीस), तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या- 88 (छियासी)
सर्वे प्लॉट संख्या- 233, (दो सौ तेतीस) का अंश भाग एराजी 11
डीसमल, वो सम्पत्ति का सालाना लगान 2 रु० अलावे शेष
जमिन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचल कार्यालय दानापुर वो
जमाबन्दी संख्या- 1506 वर्ष 2014-2015 ई० जिसका चौहदी
निम्नलिखित है:-

:-: चौहदी :-:

उत्तर :- पार्ट प्लॉट संख्या- 233 जिसका आज खरीदार
श्रीमती प्रमावती शर्मा।

दक्षिण :- सर्वे प्लॉट संख्या- 231 एवं 232 अयोध्या राय।

पुरब :- सहायक सड़क।

पश्चिम:- पार्ट प्लॉट संख्या- 233 जिसका आज खरीदार श्री
मंगलेश्वर सिंह।

:-: पैमाईश :-:

उत्तर :- 137 फीट 00 इंच।

दक्षिण :- 137 फीट 00 इंच।

पुरब :- 35 फीट 00 इंच।

पश्चिम:- 35 फीट 00 इंच।



आबादी की उर्फ अबा अस्ती
24.4.15

श्रीमती प्रमावती शर्मा
श्रीमती प्रमावती शर्मा
श्रीमती प्रमावती शर्मा
श्रीमती प्रमावती शर्मा
श्रीमती प्रमावती शर्मा
श्रीमती प्रमावती शर्मा

नोट :- इस निर्विवाद विक्रय-पत्र के पेज संख्या- 12 के रूप में एक नक्सा संलग्न है जिसमें लाल रंग से रंगा भाग विक्रेता द्वारा केंता को बेचा जा रहा है।

-: : सन्दर्भ : :-

हकियत यह है कि उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति सर्वे प्लॉट संख्या- 233 कि कुल एराजी 67 डीसमल है जो सर्वे खतियान में सुपन सिंह पिता का नाम सजीवन सिंह निवास स्थान- कोथवाँ, का नाम दर्ज पाया गया है। जो सर्वे खतियानी रैयत सुपन सिंह अपना जीवन काल तक काबिज दखील रहकर अपना जायज वारिश मात्र एक पुत्र इन्द्रलाल सिंह एवं सम्पत्ति को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये।

यह कि सर्वे खतियानी रैयत सुपन सिंह के स्वर्गवास के बाद सभी सम्पत्ति पर इनके पुत्र इन्द्रलाल सिंह काबिज दखील मालीक मुस्तकील हुये वो इन्द्रलाल सिंह भी अपना जीवन काल तक काबिज दखील रहकर अपना जायज वारिश मात्र एक पुत्र श्री रामबाबु सिंह एवं सम्पत्ति को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये।

यह कि इन्द्रलाल सिंह के स्वर्गवास के बाद सभी सम्पत्ति पर इनके पुत्र श्री रामबाबु सिंह स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील हुये बाद में उक्त रामबाबु सिंह ने दो किता वशिका विक्रय पत्र द्वारा श्री रामजी चौहान पिता का नाम स्व० लाल बहादुर सिंह से सर्वे प्लॉट संख्या- 223 में मवाजी 30 डीसमल बिक्री किये किये है। जिसमें पहला किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दस्खत दिनांक- 23/09/1989 ई० एवं निबंधन दिनांक- 25/09/1989 ई० को मवाजी 15 डीसमल बिक्री किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 85, पेज नं०- 171 से 176 तक वशिका नं०- 8332 वर्ष 1989 ई०, वो दूसरा किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 15/01/1990 ई० को मवाजी 15 डीसमल बिक्री किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 37, पेज नं०- 115 से 128 तक वशिका नं०- 338 वर्ष 1990 ई०, जो दोनों किता वशिका विक्रय पत्र निबंधन कार्यालय सदर पटना में निबंधित हुई हैं।

आप्रादिनी उर्फ खाना अन्वेषी
24.4.15

w/- Anu Kumar Jha,
S/o - Sri Ram Daman Singh
Vill + P.O. Fatehabad
Dist - Muzaffar pur
24.4.15



यह कि श्री रामजी चौहान ने उक्त श्री रामबाबु सिंह से खरीदारी मवाजी 30 डीसमल को दो किता वशिका विकय पत्र द्वारा श्री मिथिलेश कुमार सिंह पिता का नाम श्री रामकृपाल सिंह निवास स्थान- किशोर भवन अशोक राज पथ पटना-6 से सर्वे प्लॉट संख्या- 233 ने मवाजी 30 डीसमल विकी किये किये है। जिसमे पहला किता वजरिये वशिका विकय पत्र द्वारा दिनांक- 22/02/1991 ई0 को मवाजी 15 डीसमल विकी किये है। जिसका बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 53, पेज नं0- 511 से 516 तक वशिका नं0- 1568 वर्ष 1991 ई0, वो दुसरा किता वजरिये वशिका विकय पत्र द्वारा दस्खत दिनांक- 22/02/1991 ई0 एवं निबंधन दिनांक- 23/02/1991 ई0 को मवाजी 15 डीसमल विकी किये है। जिसका बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 53, पेज नं0- 575 से 580 तक वशिका नं0- 1601 वर्ष 1991 ई0, जो दोनो किता वशिका विकय पत्र निबंधन कार्यालय सदर पटना मे निबंधित हुई है, वो तिथि खरीदारी के दिने से अपना खरीदार सम्पत्ति मवाजी 30 डीसमल पर उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील चले आते थे।

यह कि उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह को अपना अवासीय भूखण्ड खरीदकर आवासीय भवन निर्माण करने हेतु रूप्यो कि आवश्यकता था इसलिये उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह ने अपना खरीदारी कुल मवाजी 30 डीसमल को वजरिये वशिका विकय पत्र द्वारा दिनांक- 05/03/1991 ई0 को श्री सत्येन्द्र कुमार पिता का नाम श्री विश्वनाथ सिंह निवास स्थान- कोथवाँ, थाना एवं पत्रालय- खगौल, जिला- पटना के नाम से विकी किये है। जिसका बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 88, पेज नं0- 51 से 68 तक वशिका नं0- 1242 वर्ष 1991 ई0, जो निबंधन कार्यालय दानापुर में निबंधित हुई है।

यह कि उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह उक्त मवाजी 30 डीसमल को अपने इजमाईल परिवार के रूप्यो से खरीद किये थे इसलिये खरीदारी के बाद अपना भाई श्री धीरेन्द्र कुमार के साथ खरीदारी सम्पत्ति मवाजी 30 डीसमल पर स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील चले आते थे।

आबादी देवी उर्फ आबादी अर्वादी
8.4.15



यह कि उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्री धीरेन्द्र कुमार को अन्य सम्पत्ति के खरीदारी वगैरह हेतु रूप्यो कि आवश्यकता था इसलिये उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्री धीरेन्द्र कुमार खरीदारी कुल मवाजी 30 डीसमल को वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 22/02/2008 ई0 को लेख्यकारिणी श्रीमती आशा देवी के नाम से कुल मवाजी 30 डीसमल बिक्री किये है। जिसका बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 20, पेज नं0- 163 से 170 तक टोकन नं0- 1479 सी0 डी0 नं0- 3 वशिका नं0- 1231 वर्ष 2008 ई0, जो निबंधन कार्यालय दानापुर मे निबंधित हुई है। वो तिथि खरीदारी के दिन से लेकर आज तक लेख्यकारिणी उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति एवं और भी अन्य दिगर सम्पत्ति पर स्वतंत्र रूप से बहैसियत सम्पत्ति के मुल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपना उपयोग वो उपभोग में लाती है वो है। और लेख्यकारिणी का नाम अंचल कार्यालय दानापुर के जमाबन्दी रैयत संख्या- 1506 पर दर्ज चला आता है। इस प्रकार लेख्यकारिणी को उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति पर दखल-कब्जा को प्रमाण-पूर्ण-रूप-से-प्रमाणित है।

इस तरह से लेख्यकारिणी को उपरोक्त खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा प्राप्त है तथा सम्पत्ति के भू-स्वामीगण बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांति पूर्वक रहते हुए चले आ रहे हैं वो है।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति सभी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, सभी तरह के ऋण भारों बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण, एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है, यह किसी भी प्रकार से न तो विवादित और न ही सरकार द्वारा अर्जित ही है। यह-पूर्ण-रूप-से-निर्विवादित है।

यह कि लेख्यकारिणी/बिक्रेता को तत्काल मकान बनाने, वो अन्य आवश्यक पारिवारिक कार्यों की पूर्ति हेतु रूपयो की सख्त आवश्यकता है, बिना उपरोक्त खाने संख्या- 5 की वर्णित सम्पत्ति को बिक्री किए रूपये का प्रबंध इस समय वर्तमान आय से नहीं हो सकता है। इसलिए

आशा देवी उर्फ आशा अश्रीवा

24.4.15



लेख्यकारिणी ने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को बिक्रय करने हेतु एलान वो प्रचार किए वो करवाए जिसपर अन्य ग्राहकों के साथ-साथ केता खाने संख्या- 2 श्री जितेश कुमार शर्मा से बातचीत हुई परन्तु केता के बराबर अथवा इससे अधिक मूल्य किसी अन्य ग्राहकों के द्वारा नहीं देने पर बिक्रेता अपने तन मन की स्वस्थ अवस्था तथा पूर्ण मानसिक संतुलन में होकर वो रहकर बिना किसी दबाव, धमकाव, लोन वो प्रलोभन के अपने सम्पूर्ण लाभ हानि को बखूबी समझ बूझकर अपने स्वेच्छा वो अपने पूर्ण खुशी एवं ख्याहिस से इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र की असर को समझते हुए वो अपने हितैषी तथा अन्य परिवार वालों तथा कानूनी-सलाहकारों से राय मशवरा लेकर खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को वर्तमान वो प्रचलित उचित बाजार मूल्य रू० 29,70,000/- रुपया (उनतीस लाख सत्तर हजार रुपया) मात्र में केता के साथ बिक्रय करने की बातचीत पक्की की। जिसको बिक्रेता वो केता ने सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति सभी प्रकार के विध्न, प्रतिबंध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है वो बिक्रेता ने केता से उपरोक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति बेचा वो एकरार स्वीकार किया एवं निर्विवाद बिक्रय किया और कुल वो पूरा कीमत मो०- 29,70,000/- रुपया (उनतीस लाख सत्तर हजार रुपया) इस वशिका के निष्पादन के पूर्व लेख्यकारिणी/बिक्रेता ने केता से वसुल पा चुकी है, और अब लेख्यकारिणी/बिक्रेता का केता के यहाँ खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति से संबंधित मूल्य का कुछ भी बकाया नहीं रहा वो न भविष्य में होगा, इस प्रकार खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर जो कुछ भी हक वो अधिकार एवं दखल-कब्जा लेख्यकारिणी /बिक्रेता वो इनके उत्तरधिकारी को हासिल था वो भविष्य में हासिल होता रहता, वह सम्पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा आज की निष्पादित तिथि से इस बिक्रय पत्र के माध्यम से खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति के बदले बिक्रेता को केता से कुल वो पूरा कीमत रू० 29,70,000/- रुपया

आत्मसूची ऑफ आमा असेबरी
24.4.15



(उनतीस लाख सत्तर हजार रूपया) मात्र प्राप्त करने के बाद कुल मूल्य के बदले खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति केता एवं इनके उत्तराधिकारीगण को बिकेता से हमेशा के लिए हासिल हुआ वो भविष्य में हमेशा के लिए हासिल होता रहेगा।

यह कि खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को बिकेता ने धारण एवं भोग करने के सभी अधिकारों का त्याग केता के पक्ष में करते हुए खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति केता को हमेशा के लिए सौंप दिए तथा दखल-कब्जा दे दिए वो हमेशा के लिए खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति का मालिक मुस्तकिल-बनाए। अब केता बिना प्रतिबंध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपयोग वो उपभोग भू-स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार निर्माण करे या विक्रय, दान, वसियत, गिरवी, या किसी प्रकार का हस्तांतरण पत्र इत्यादि करेगे या जिस तरह से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे या जो चाहें सो करें। अब बिकेता द्वारा इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र को निष्पादन कर देने के पश्चात्, बिकेता तथा इनके उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार का हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा वो किसी प्रकार का आपत्ति खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर न है वो न भविष्य में होगा।

यह कि बिकेता खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को केता द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय-समय पर किये जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों का दायित्व केता को हमेशा के लिए हस्तान्तरित करते है।

यह कि खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर केता को सम्पूर्ण हक, स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है, केता उपरोक्त खाने संख्या- 5 की वर्णित सम्पत्ति पर काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र के माध्यम से केता अपना नाम लेख्यकारिणी / बिकेता / वर्तमान जबाबन्दी धारक के नाम के स्थान पर दाखिल खारीज के द्वारा रजिस्टर-2 में अपना नाम दर्ज कराकर भू- राजस्व अंचलाधिकारी कार्यालय को निर्विवाद रूप से पूर्ण भू-स्वामी की हैसियत से देय करते

आशा देवी उर्फ आशा अरवि
84. प. 15



रहेगे वो इसके अलावे भी जहाँ-जहाँ वो जिस-जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य समझेंगे अपना नाम लेख्यकारिणी / बिकेता के नाम से स्थान पर दर्ज करा लेंगे, इसमें लेख्यकारिणी / बिकेता एवं इनके उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

यह कि यदि कोई व्यक्ति लेख्यकारिणी/बिकेता या अन्य के माध्यम से खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति-या-विशेषाधिकार का दावा करता है, तो वह दावा इस बिकय-पत्र के आधार पर अवैधानिक, शून्य, गलत, अमान्य वो गैरकानूनी समझा जायेगा और किसी भी अदालत में सुनवाई के लायक नहीं रहेगा।

यह कि इस बिकय-पत्र के पंजीकरण के पश्चात् किसी प्रकार की देयता बिकय तिथि के पूर्व खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार का शुल्क, टैक्स, लगान, किराया, या अन्य देय उस अवधि के मेंगे जाते है, तब लेख्यकारिणी/बिकेता उक्त राशि को स्वयं जमा करेंगे। ऐसा नहीं करने पर केता उक्त राशि को लेख्यकारिणी/बिकेता या उनके उत्तराधिकारीगण अथवा उनके चल वो अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेंगे।

यह कि किसी कारण यह बिकय-पत्र सक्षम पदाधिकारी, फोरम, न्यायालय अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब केता, लेख्यकारिणी/बिकेता से प्रतिफल की कुल राशि सूद समेत तथा अन्य प्रकार की क्षतियों की राशि वसूल करने के लिए कानूनी रूप से अधिकारी होंगे।

यह कि लेख्यकारिणी/बिकेता ने केता को पूर्ण विश्वास वो भरोसा दिलाए हैं कि खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति हर तरह के नुक्स हकियत वो सभी तरह के ऋण भारों, बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण वो अन्य तरह के स्वामित्व सम्बन्धित वाद-विवाद से बिल्कुल मुक्त एवं पाक साफ है वो सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, भूमि हदबन्दी कार्यालय, भू-अर्जन कार्यालय, सम्पत्ति अधिग्रहण अटैचमेन्ट सम्बन्धित अध्यादेश

आशादी उर्फ आशा अरवि
24.4.15



/सूचना एवं किसी तरह का निषेधाज्ञा, किसी तरह के सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं, सरकारी-गैरसरकारी वित्तीय संस्थाओं या न्यायालय के द्वारा उक्त सम्पत्ति के अंश या पूर्ण भाग के निश्चय किसी तरह कि अधिसूचना प्रेषित नहीं कि गयी है तथा लेख्यकारिणी / बिकेता उक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं लिखे है वो न किए है और न ही भविष्य में करेगे, अगर केता और इनके उत्तराधिकारीगण उक्त या अन्य वजह से खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति के अंश भाग या कुल भू-भाग से बेदखल हो जायें या कर दिये जायें या किसी तरह का ऋण अदाय करना पड़े तो वैसी सूरत में केता और इनके उत्तराधिकारीगण को पूर्ण अधिकार होगा की अपनी क्षति की पूर्ति मय हर्जा खर्चा वो सूद समेत लेख्यकारिणी/ बिकेतागण या इनके उत्तराधिकारीगण के चल अचल सम्पत्ति से बअदालत कानूनी कारवाई करके वसुल कर लेंगे।

आबादी उर्फ आबा आरिबी

24.4.15


रुपया कि वसूली

बैंक का नाम	चेक नं०	दिनांक	मूल्य
एस० बी० आई० डोरन्डा रॉची	158886	21/04/15	5,00,000/-
"	158887	21/04/15	5,00,000/-
"	158888	21/04/15	5,00,000/-
"	158889	21/04/15	5,00,000/-
"	158890	21/04/15	5,00,000/-
"	158891	21/04/15	4,70,000/-

कुल म०:- 29,70,000/-



इस वास्ते यह वसीका निर्विवाद बिकय-पत्र बिकेता श्रीमती अशा देवी उर्फ आशा अखौरी अपने मानसिक वो शारीरिक स्वस्थ-अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव वो धमकाव के अपने तथा अपने परिवार के हानि-लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ वो बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर यह निर्विवाद बिकय-पत्र बनाम वो वहक श्री जितेश कुमार शर्मा, के पक्ष में स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे। समाप्त। दिनांक-

बिकेता का हस्ताक्षर 

केता का हस्ताक्षर

Jitesh Kumar Sharma
24/4/2015

आशा देवी उर्फ आशा अखौरी
24.4.15
(श्रीमती आशा देवी उर्फ आशा अखौरी)

(श्री जितेश कुमार शर्मा)

टंकणकर्त्ता-
आर० कुमार
दानापुर

बिकेता का निवेदन श्री जितेश कुमार शर्मा के स्वयंसेवक श्री जितेश कुमार शर्मा के द्वारा लिखा गया है।
24/4


24-4-15




~~जितेश कुमार शर्मा~~
जितेश कुमार शर्मा
दिनांक 24/4/15
(2015 का 592/15)

बजरी नबसा पक्षकारो द्वारा

विक्रेता- श्रीमती आशा देवी उर्फ आशा अखौरी पति का नाम श्री अविनाश कुमार उर्फ अविनाश कुमार अखौरी, निवास स्थान एवं पत्रालय- माडीपुर मुजफ्फरपुर, थाना- भगवानपुर, जिला- मुजफ्फरपुर, हाल निवास एवं पत्रालय- गोपालगंज, थाना- गोपालगंज, जिला- गोपालगंज

क्रेता- श्री जितेश कुमार शर्मा पिता का नाम श्री देव बिहारी शर्मा निवास स्थान- पतौना, थाना- पालीगंज, पत्रालय- सिद्धीपुर, जिला- पटना,

सम्पत्ति- मीजा- कोथवों जिसका धाना संख्या- 37 तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या- 86 सर्वे प्लॉट संख्या- 233, का अंश भाग एराजी 11 डीसमल,



विक्रेता का हस्ताक्षर
 आशा देवी उर्फ आशा अखौरी
 24.4.15

क्रेता का हस्ताक्षर
 Jitendra Kumar Sharma
 24/4/2015



बिहार सरकार
निबंधन विभाग

10 मानक

(4)

को के निबंधन के लिए बना किये जाने वाले स्वाम्य तुलका/निबंधन तुलक एवं भुगतानों के निबंध तुलक के
KUMAR SHARMA भुगतान के लिए बैंक कलान

1. पक्षकार का नाम / वक - श्री देवा कुमार शर्मा शाह पटना
(जितनी और से जमा किया जा रहा है) - पटना जिला पटना
2. दस्तावेज का प्रकार - वडा
3. निबंधन कार्यालय - पटना
4. बैंक का नाम एवं शाखा - बानापुर
5. भुगतान की जानेवाली राशी का विवरण : SBI बानापुर

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्वाम्य तुलक-मुख्य शीर्ष -0030-स्वाम्य एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02- स्वाम्य पर व्यापिक सपु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्वाम्य तुलक सुधार उप शीर्ष 0001 सकल प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राथमिक विवर कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	280600	280600
निबंधन तुलक-मुख्य शीर्ष -0030-स्वाम्य एवं पंजीकरण तुलक उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण तुलक, सपु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण तुलक-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राथमिक विवर कोड - R0030031040001, A/c No.-10963226576	70400	70400
भुगतादी तुलक-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व सपु शीर्ष -000- अन्य प्राथमिक-उप शीर्ष -0008- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन तुलक के अन्व विवर कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598	550	550
भुगतान का माध्यम : चक/ चेक/ द्राफ्ट	कुल योग	351550/-

C-71
C-72
C-45

भुगतान का माध्यम : चक/ चेक/ द्राफ्ट
कुल राशि राशियों में
स्थान - Danapur
तारीख - 23/11/15
• चेक/द्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।
• चेक/द्राफ्ट की राशि अन्तरिम होने के पर्याप्त ही मान्य होगी

जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
351550
351950

FOR USE OF THE BANK

रकम सं०
संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रूप
रूपमें प्राप्त किया

शर्तों में
प्राधिकृत स्थाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज * जय काने का विवरण
एस्को संख्या 80 . A/c No 30978461108
रकम रु० १००

RECEIVED
PAID
SBI, DANAPUR Br.-01254
RAJ KUMAR
ID No.-5998402
23/11/15

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '23'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 211200/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 70400/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Amt. paid through Bank Chalan	Rs. 351950/-

FEE PAID		Registration Fee									
A1	70400	C	0	H1b	0	K1a	0	L1	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	L1i	0		
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	L1ii	0		
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Mb	0		
B	0	H1a	0	J2	0	L1	0	Na	0		
										TOTAL-	70400

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 71350

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	500	400
Proc. Fee	50	
Total	550	

Date: 24/04/2015


Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Friday, 24th April 2015 by Asha Devi Alias Asha Akhouri Vinash Akhauri by profession House Wife. Status - Executant

अशा देवी उर्फ अशा अखौरी
24.4.15
Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 24/04/2015


Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Avinash Kumar Akhauri' Sex 'M', 'Akhauri Dharnidhar', resident of 'Madipur Mujaffarpur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date: 24/04/2015


Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 83 on pages on 109 -124 , for the year 2015 and entered in CD volume No. CD-13 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date: 24/04/2015

No. : 4222

Year : 2015

No. : 4193

SCORE Ver. 3.0

Registering Officer
Danapur

Doc No. : 11




REM1004142

पता : मादपुर वार्ड 8
 तालुका - मुजफ्फरपुर
 मंडल - मुजफ्फरपुर
 जिला - मुजफ्फरपुर
 842001

Address : Madipur Ward 8
 Taluqa - Muzaffarpur,
 Mandal - Muzaffarpur,
 Dist. - Muzaffarpur
 842001

दिनांक / Date : 10/12/2012



Signature of District Registrar
 Officer - Muzaffarpur, Constituency

36/1,002

भारत सरकार
 निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD

REM1004142




निर्वाचक का नाम : अविनेश कुमार अक्षरारी
 Elector's Name : Avinash Kumar Aksharari

पिता का नाम : धरानुशर
 Father's Name : Dharanushar

लिंग : पुरुष/Male
 Date of Birth : X X X X 1 9 5 4

4116



बिहार BIHAR

1323 22/4/15

T 038744

Serial No. 4191

अशोक देवी आशा अखौरी वि. अ. नं. 4114/2015



Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 24/04/2015 by Asha Devi Alias Asha Akhoury. A Stamp Duty of Rs. 281600/- and other Fees of Rs. 71350/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 4114 in Book No. 1, Volume No. 83 on pages from 77 to 92 and has been preserved in total 16 pages in C.D. No. 13 / Year 2015

बिहार सरकार

24/4/2015

Date: 24/04/2015

SCORE 3.0 Token No: 4216 / 2015

Signature with Date (Dhananjay Kumar Rana) Registering Officer, Danapur

DEED OF ABSOLUTE SALE

(निर्विवाद बिकय-पत्र)

यह निर्विवाद बिकय-पत्र आज 24 वीं अप्रैल, 2015 ई0 को लेख्यकारिणी / बिकेता ने लेख्यधारिणी / केता के पक्ष में निष्पादित किया।



आशा देवी उर्फ आशा अखौरी ने अपने पति का नाम रजु पंकर नामक ली अपना वस्तु पानी।

Asha Akhoury
24.4.15.

1. लेख्यकारिणी (बिकेता) का नाम एवं पुरा पता:-

श्रीमती आशा देवी उर्फ आशा अरखीरां पति का नाम श्री अविनाश कुमार, उर्फ अविनाश कुमार अखीरी निवास स्थान एवं पत्रालय- भाड़ीपुर मुजफ्फरपुर, थाना- भगवानपुर, जिला- मुजफ्फरपुर, हाल निवास एवं पत्रालय- गोपालगंज, थाना- गोपालगंज, जिला- गोपालगंज (बिहार), भारतीय नागरिक इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित है जिसे आगे लेख्यकारिणी / बिकेता कहा गया है।

PAN- BFWPA8296J.

आशा देवी उर्फ आशा अरखीरी
24.4.15

2. लेख्यधारिणी (केता) का नाम एवं पुरा पता:-

श्रीमती प्रभावती रमा (SMT. PRABHAWATI SHARMA) पुत्री स्व० बच्चु शर्मा, निवास स्थान- बघाकोल, थाना- बिक्रम, पत्रालय- पतुल, जिला- पटना, (बिहार) भारतीय नागरिक। (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापत्र एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं) जिसे आगे सम्मिलित रूप लेख्यधारिणी / केता कहा गया है। PAN- AFYPS6014D

3. लेख्य प्रकार :- निर्विवाद बिकय-पत्र।
(DEED OF ABSOLUTE SALE).

4. बिकय की जा रही सम्पत्ति का मूल्य :-

अंकन :- 29,70,000/- रुपया (उनतीस लाख सत्तर हजार रुपया) मात्र बिकय मूल्य यो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य मो०:- 35,20,000/- (पैंतीस लाख बीस हजार रुपया) मात्र जिस पर स्टाम्प शुक्ल देय है।

आशा देवी उर्फ आशा अरखीरी
प्रभावती रमा
श्री अविनाश कुमार
24.4.15



5. विक्रेता द्वारा क्रेता को विक्रय की जा रही सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

क्षेत्रफल 11 डीसमल (ग्यारह डीसमल) समतुल्य 4791.6 वर्गफीट
एराजी परती अवासीय कायमी नगदी बाके मीजा- कोथवों
परगना- फुलवारी, थाना- खगौल, सर्वे थाना एवं सब रजिस्ट्री
दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला पटना, जिसका थाना संख्या-
37 (सैतीस), तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या- 86 (ठियासी)
सर्वे प्लॉट संख्या- 233, (दो सौ तेतीस) का अंश भाग एराजी 11
डीसमल, वी सम्पत्ति का सालाना लगान 2 रु० अलावे शेष
जमिन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचल कार्यालय दानापुर वो
जमाबन्दी संख्या- 1508 वर्ष 2014-2015 ई० जिसका चौहदी
निम्नलिखित है:-

-: : चौहदी : :-

उत्तर :- श्री राजदेव सिंह।

दक्षिण :- पार्ट प्लॉट संख्या- 233 जिसका आज खरीदार श्री
जितेश कुमार शर्मा।

पुरब :- सहायक सड़क।

पश्चिम:- पार्ट प्लॉट संख्या- 233 जिसका आज खरीदार श्री
मधेश्वर कुमार।

-: : पैमाईश : :-

उत्तर :- 137 फीट 00 इंच।


दक्षिण :- 137 फीट 00 इंच।

पुरब :- 35 फीट 00 इंच।

पश्चिम:- 35 फीट 00 इंच।

आबा देवी उर्फ आबा कर्षेयी
24.4.15

107 अक्षाए लाल मंडर
पिरी - 10 अक्षर 8/82
C/31 855193/ amma
थाना - शाहजिरी -
जो - थाना -
द्वारा - 24/4/2015



नोट :- इस निर्विवाद विक्रय-पत्र के पेज संख्या- 12 के रूप में एक नक्सा संलग्न है जिसमें लाल रंग से रंगा भाग बिकेता द्वारा कंता को बेचा जा रहा है।

- : : सन्दर्भ : : -

हकियत यह है कि उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति सर्वे प्लॉट संख्या- 233 कि कुल एराजी-67 डीसमल है जो सर्वे खतियान मे सुपन सिंह पिता का नाम सजीवन सिंह निवास स्थान- कोधवाँ, का नाम दर्ज पाया गया है। जो सर्वे खतियानी रैयत सुपन सिंह अपना जीवन काल तक काबिज दखील रहकर अपना जायज वारिश मात्र एक पुत्र इन्द्रलाल सिंह एवं सम्पत्ति को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये।

यह कि सर्वे खतियानी रैयत सुपन सिंह के स्वर्गवास के बाद सभी सम्पत्ति पर इनके पुत्र इन्द्रलाल सिंह काबिज दखील मालीक मुस्तकील हुये वो इन्द्रलाल सिंह भी अपना जीवन-काल तक काबिज दखील रहकर अपना जायज वारिश मात्र एक पुत्र श्री रामबाबु सिंह एवं सम्पत्ति को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये।

यह कि इन्द्रलाल सिंह के स्वर्गवास के बाद सभी सम्पत्ति पर इनके पुत्र श्री रामबाबु सिंह स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील हुये बाद मे उक्त रामबाबु सिंह ने दो किता वशिका विक्रय पत्र द्वारा श्री रामजी चौहान पिता का नाम स्व० लाल बहादुर सिंह से सर्वे प्लॉट संख्या- 233 मे मवाजी 30 डीसमल बिकी किये किये है। जिसमे पहला किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दस्खत दिनांक- 23/09/1989 ई० एवं निबंधन दिनांक- 25/09/1989 ई० को मवाजी 15 डीसमल बिकी किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 85, पेज नं०- 171 से 176 तक वशिका नं०- 8332 वर्ष 1989 ई०, वो दुसरा किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 15/01/1990 ई० को मवाजी 15 डीसमल बिकी किये है। जिसका बुक नं०- 1, जिल्द नं०- 37, पेज नं०- 115 से 120 तक वशिका नं०- 338 वर्ष 1990 ई०, जो दोनों किता वशिका विक्रय पत्र निबंधन कार्यालय सदर पटना मे निबंधित हुई हैं।

उत्तरा देवी रफि आसा अखीरी
24.4.15

श्री. Anu Kumar Inlu
S/o. Sri Ram Dawan Singh
Will + p.o - Fatehabad
Dist - Muzaffar pur
24.11.15



यह कि श्री रामजी चौहान ने उक्त श्री रामबाबु सिंह से खरीदारी मवाजी 30 डीसमल को दो किता वशिका विक्रय पत्र द्वारा श्री मिथिलेश कुमार सिंह पिता का नाम श्री रामकृपाल सिंह निवास स्थान- किशोर भवन अशोक राज पथ पटना- 6 से सर्वे प्लॉट संख्या- 233 मे मवाजी 30 डीसमल बिक्री किये किये है। जिसमे पहला किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 22/02/1991 ई0 को मवाजी 15 डीसमल बिक्री किये है। जिसका बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 53, पेज नं0- 511 से 516 तक वशिका नं0- 1568 वर्ष 1991 ई0, वो दुसरा किता वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दस्खत दिनांक- 22/02/1991 ई0 एवं निबंधन दिनांक- 23/02/1991 ई0 को मवाजी 15 डीसमल-बिक्री किये है। जिसका बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 53, पेज नं0- 575 से 580 तक वशिका नं0- 1601 वर्ष 1991 ई0, जो दोनो किता वशिका विक्रय पत्र निबंधन कार्यालय सदर पटना मे निबंधित हुई है, वो तिथि खरीदारी के दिन से अपना खरीदार सम्पत्ति मवाजी 30 डीसमल पर उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील चले आते थे।

यह कि उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह को अपना अवासीय भूखण्ड खरीदकर आवासीय भवन निर्माण करने हेतु रूप्यो कि आवश्यकता था इसलिये उक्त श्री मिथिलेश कुमार सिंह ने अपना खरीदारी कुल मवाजी 30 डीसमल को वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 05/03/1991 ई0 को श्री सत्येन्द्र कुमार पिता का नाम श्री विश्वनाथ सिंह निवास स्थान- कोथवाँ, थाना एवं पञ्चालय- खगौल, जिला- पटना के नाम से बिक्री किये है। जिसका बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 88, पेज नं0- 51 से 68 तक वशिका नं0- 1242 वर्ष 1991 ई0, जो निबंधन कार्यालय दानापुर मे निबंधित हुई है।

यह कि उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह उक्त मवाजी 30 डीसमल को अपने इजमाईल परिवार के रूप्यो से खरीद किये थे इसलिये खरीदारी के बाद अपना भाई श्री धीरेन्द्र कुमार के साथ खरीदारी सम्पत्ति मवाजी 30 डीसमल पर स्वतंत्र रूप से काबिज दखील मालीक मुस्तकील चले आते थे।

आजा देवी उर्फ आजा उन्नेरी
24.4.15



यह कि उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्री धीरेन्द्र कुमार को अन्य सम्पत्ति के खरीदारी-बगैरह हेतु रूप्यो कि आवश्यकता था इसलिये उक्त श्री सत्येन्द्र कुमार एवं श्री धीरेन्द्र कुमार खरीदारी कुल मवाजी 30 डीसमल को वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक- 22/02/2008 ई0 को लेख्यकारिणी श्रीमती आशा देवी के नाम से कुल मवाजी 30 डीसमल बिकी किये है। जिसका बुक नं0- 1, जिल्द नं0- 20, पेज नं0- 163 से 170 तक टोकन नं0- 1479 सी0 डी0 नं0- 3 वशिका नं0- 1231 वर्ष 2008 ई0, जो निबंधन कार्यालय दानापुर मे निबंधित हुई है। वो तिथि खरीदारी के दिन से लेकर आज तक लेख्यकारिणी उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति एवं और भी अन्य दिगर सम्पत्ति पर स्वतंत्र रूप से बहैसियत सम्पत्ति के मुल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपना उपयोग वो उपभोग में लाती है वो है। और लेख्यकारिणी का नाम अंचल कार्यालय दानापुर के जमाबन्दी रैयत संख्या- 1506 पर दर्ज चला आता है। इस प्रकार लेख्यकारिणी को उपर्युक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति पर दखल-कब्जा का प्रमाण पूर्ण रूप से प्रमाणित है।

इस तरह से लेख्यकारिणी को उपरोक्त खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा प्राप्त है तथा सम्पत्ति के भू-स्वामीगण बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांति पूर्वक रहते हुए चले आ रहे हैं वो है।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति सभी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, सभी तरह के ऋण भारों बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण, एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है, यह किसी भी प्रकार से न तो विवादित और न ही सरकार द्वारा अर्जित ही है। यह पूर्ण रूप से निर्विवादित है।

यह कि लेख्यकारिणी/बिकेता को तत्काल मकान बनाने, वो अन्य आवश्यक पारिवारिक कार्यों की पूर्ति हेतु रूप्यो की सख्त आवश्यकता है, बिना उपरोक्त खाने संख्या- 5 की वर्णित सम्पत्ति को बिकी किए रूपये का प्रबंध इस समय वर्तमान आय से नहीं हो सकता है। इसलिए

आशा देवी उर्फ आशा अश्वेरी
24-4-15



लेख्यकारिणी ने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को बिक्रय करने हेतु एलान व प्रचार किए व करवाए, जिसपर अन्य ग्राहकों के साथ-साथ कंता खाने संख्या- 2 श्रीमती प्रभावती शर्मा से बातचीत हुई परन्तु कंता के बराबर अथवा इससे अधिक मूल्य किसी अन्य ग्राहकों के द्वारा नहीं देने पर बिक्रेता अपने तन मन की स्वरथ अवस्था तथा पूर्ण-मानसिक संतुलन में होकर व रहकर बिना किसी दबाव, धमकाव, लोभ व प्रलोभन के अपने सम्पूर्ण लाभ हानि को बखूबी समझ बूझकर अपने स्वेच्छा व अपने पूर्ण खुशी एवं स्वाहिस से इस निर्विवाद बिक्रय-पत्र की असर को समझते हुए व अपने हितैषी तथा अन्य परिवार वालों तथा कानूनी सलाहकारों से राय मशवरा लेकर खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को वर्तमान व प्रचलित उचित बाजार मूल्य रू० 29,70,000/- रूपया (उनतीस लाख सत्तर हजार रूपया) मात्र में कंता के साथ बिक्रय करने की बातचीत पक्की की। जिसको बिक्रेता व कंता ने सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि-खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति सभी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है व बिक्रेता ने कंता से उपरोक्त खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पत्ति बेचा व एकरार स्वीकार किया एवं निर्विवाद बिक्रय किया और कुल व पूरा कीमत मो०:- 29,70,000/- रूपया (उनतीस लाख सत्तर हजार रूपया) इस चशिका के निष्पादन के पूर्व लेख्यकारिणी/बिक्रेता ने कंता से वसुल पा चुकी है, और अब लेख्यकारिणी/बिक्रेता का कंता के सहित खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति से संबंधित मूल्य का कुछ भी बकाया नहीं रहा व न भविष्य में होगा, इस प्रकार खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर जो कुछ भी हक व अधिकार एवं दखल-कब्जा लेख्यकारिणी /बिक्रेता व इनके उत्तराधिकारी को हासिल था व भविष्य में हासिल होता रहता, वह सम्पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा आज की निष्पादित तिथि से इस बिक्रय पत्र के माध्यम से खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति के बदले बिक्रेता को कंता से कुल व पूरा कीमत रू० 29,70,000/- रूपया

आशापूर्वी उर्फ जय्या अश्वेरी
24.4.15



(उनतीस लाख सत्तर हजार रूपया) मात्र प्राप्त करने के बाद कुल मूल्य के बदले खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति-केता एवं इनके उत्तराधिकारीगण को बिकेता से हमेशा के लिए हाशिल हुआ वो भविष्य में हमेशा के लिए हाशिल होता रहेगा।

यह कि खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को बिकेता ने धारण एवं भोग करने के सभी अधिकारों का त्याग केता के पक्ष में करते हुए खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति केता को हमेशा के लिए सौंप दिए तथा दखल-कब्जा दे दिए वो हमेशा के लिए खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति का मालिक मुस्तकिल बनाए। अब केता बिना प्रतिबंध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपयोग वो उपभोग भू-स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार निर्माण करे या विक्रय, दान, बसियत, गिरवी, या किसी प्रकार का हस्तांतरण पत्र इत्यादि करेगें या जिस तरह से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावें या जो चाहें सो करें। अब बिकेता द्वारा इस निर्विवाद विक्रय-पत्र को निष्पादन कर देने के पश्चात्, बिकेता, तथा इनके उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार का हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा वो किसी प्रकार का आपत्ति खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर न है वो न भविष्य में होगा।

यह कि बिकेता खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति को केता द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय-समय पर किये जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों का दायित्व केता को हमेशा के लिए हस्तान्तरित करते है।

यह कि खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर केता को सम्पूर्ण हक, स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है, केता उपरोक्त खाने संख्या- 5 की वर्णित सम्पत्ति पर काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर इस निर्विवाद विक्रय-पत्र के माध्यम से केता अपना नाम लेख्यकारिणी / बिकेता / वर्तमान जमाबन्दी धारक के नाम के स्थान पर दाखिल खारीज के द्वारा रजिस्टर-2 में अपना नाम दर्ज कराकर भू-राजस्व अंचलाधिकारी कार्यालय को निर्विवाद रूप से पूर्ण भू-स्वामी की हैसियत से देय करते

आज्ञा देवी उर्फ आजा अम्बेरी
24.4.15



रहेगे वो इसके अलावे भी जहाँ-जहाँ वो जिस-जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य समझेगे अपना नाम लेख्यकारिणी / बिकेता के नाम से स्थान पर दर्ज करा लेगे, इसमें लेख्यकारिणी / बिकेता एवं इनके उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

यह कि यदि कोई व्यक्ति लेख्यकारिणी / बिकेता या अन्य के माध्यम से खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो वह दावा इस बिकय-पत्र के आधार पर अवैधानिक, शून्य, गलत, अमान्य वो गैरकानूनी समझा जायेगा और किसी भी अदालत में सुनवाई के लायक नहीं रहेगा।

यह कि इस बिकय-पत्र के पंजीकरण के पश्चात् किसी प्रकार की देयता बिकय तिथि के पूर्व खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार का शुल्क, टैक्स, लगान, किराया या अन्य देय-उस अवधि के मोंगे जाते है, तब लेख्यकारिणी / बिकेता उक्त राशि को स्वयं जमा करेंगे। ऐसा नहीं करने पर केता उक्त राशि को लेख्यकारिणी / बिकेता या उनके उत्तराधिकारीगण अथवा उनके चल वो अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेंगे।

यह कि किसी कारण यह बिकय-पत्र सक्षम पदाधिकारी, फोरम, न्यायालय अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है केता, लेख्यकारिणी / बिकेता से प्रतिफल की कुल राशि सूद समेत तथा अन्य प्रकार की क्षत्रियों की राशि वसूल करने के लिए कानूनी रूप से अधिकारी होंगे।

यह कि लेख्यकारिणी / बिकेता ने केता को पूर्ण विश्वास वो भरोसा दिलाए हैं कि खाने संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति हर तरह के नुक्स हकियत वो सभी तरह के ऋण-भारों, बैंक-ऋण, व्यक्ति ऋण वो अन्य तरह के स्वामित्व सम्बन्धित दाद-विवाद से बिल्कुल मुक्त एवं पाक साफ है वो सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, भूमि हदबन्दी कार्यालय,

आभा देवी उर्फ आशा उरवेशी
24.4.15



भू-अर्जन कार्यालय, सम्पत्ति अधिग्रहण अटैचमेन्ट सम्बन्धित अध्यादेश /सूचना एवं किसी तरह का निषेधाज्ञा, किसी तरह के सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं, सरकारी-गैरसरकारी वित्तीय संस्थाओं या न्यायालय के द्वारा उक्त सम्पत्ति के अंश या पूर्ण भाग के निश्चत् किसी तरह कि अधिसूचना प्रेषित नहीं कि गयी है तथा लेख्यकारिणी /बिकेता उक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं लिखे है वो न किए है और न ही भविष्य में करेगें, अगर कंता और इनके उत्तराधिकारीगण उक्त या अन्य वजह से खाने संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति के अंश भाग या कुल भू-भाग से बेदखल हो जायें या कर दिये जायें या किसी तरह का ऋण अदाय करना पड़े तो वैसी सूरत में कंता और इनके उत्तराधिकारीगण को पूर्ण अधिकार होगा की अपनी क्षति की पूर्ति मय हर्जा खर्चा वो सूद समेत लेख्यकारिणी/बिकेतागण या इनके उत्तराधिकारीगण को चल अचल सम्पत्ति से बअदालत कानूनी कारवाई करके वसूल कर लेंगें।

रुपया कि वसूली

बैंक का नाम	चेक नं०	दिनांक	मूल्य
बैंक ऑफ इन्डिया श्यामली रौंची	093053	31/03/15	5,00,000/-
"	093054	21/04/15	5,00,000/-
"	093055	21/04/15	5,00,000/-
"	093056	21/04/15	5,00,000/-
"	093057	21/04/15	4,70,000/-
आर० टी० जी० एस० द्वारा	BKIDH 15112541478	22/04/15	5,00,000/-

कुल मो०:- 29,70,000/-

आशा देवी उर्फ आशा अंबेबी
24/4/15



इस वारंते यह वसीका निर्विवाद विक्रय-पत्र बिकेता श्रीमती अशा देवी उर्फ आशा अखौरी अपने मानसिक वो शारीरिक स्वरथ-अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव वो धमकाव के अपने तथा अपने परिवार के हानि-लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ वो बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर यह निर्विवाद विक्रय-पत्र बनाम वो वहक श्रीमती प्रभावती शर्मा, के पक्ष में स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

समाप्त। दिनांक-

विकेता का हस्ताक्षर

केता का हस्ताक्षर

आशा देवी उर्फ आशा अखौरी

24.4.15

(श्रीमती आशा देवी उर्फ आशा अखौरी)

प्रभावती शर्मा

24.4.2015

(श्रीमती प्रभावती शर्मा)

विकेता का यह दिशवृत्त गवाही पत्र
वो हस्ताक्षर-पत्रिका को प्रमाणित
करती पाया।

टंकणकर्ता-

आर० कुमार

दानापुर

सुपरी करण
25/4

~~15~~
24-4-15

प्रभावती शर्मा
विकेता का यह दिशवृत्त गवाही पत्र
वो हस्ताक्षर-पत्रिका को प्रमाणित
करती पाया।
(श्रीमती शर्मा) - 22/2/15




गजरी मजदूरी पत्रकारों द्वारा

विक्रेता- श्रीमती आशा देवी उर्फ आशा अखौरी पति का नाम श्री अविनाश कुमार उर्फ अविनाश कुमार अखौरी, निवास स्थान एवं पत्रालय- माड़ीपुर मुजफ्फरपुर, थाना- भगवानपुर, जिला- मुजफ्फरपुर, हाल निवास एवं पत्रालय- गोपालगंज, थाना- गोपालगंज, जिला- गोपालगंज

खरीदार- श्रीमती प्रभावती शर्मा पुत्री स्व० बच्चु शर्मा, निवास स्थान- बघाकोल, थाना- बिक्रम, पत्रालय- पतुता, जिला- पटना,

सम्पत्ति- मौजा- कोथवाँ जिसका थाना संख्या- 37 तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या- 88 सर्वे प्लॉट संख्या- 233, का अंश भाग एराजी 11 डीसमल,



विक्रेता का हस्ताक्षर
आशादेवी उर्फ आशा अखौरी
24.4.15

क्रेता का हस्ताक्षर
प्रभावती शर्मा
25.4.2015



किशन भरकर
निदेशित विभाग

निबंध के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंध शुल्क एवं भुगतानी के निबंध शुल्क के
भुगतान के लिए बैंक खाता

MTS SHARMA

नाम/पता: श्रीमती प्रभावती शर्मा साह
जसको और से जमा किया जा रहा है।
विकास विभाग जिला पंचायत

निबंध कार्यालय
बैंक का नाम एवं शाखा: डानापुर
भुगतान की जानेवाली राशी का विवरण: SBI डानापुर

भुगतान खात मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02- स्टाम्प पर व्यापिक सपु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाया उप शीर्ष 0001 सकल प्राथिक इकाई -75 49 सकल प्राथिक विवरण कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	280600	280600
निबंध शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, सपु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राथिक विवरण कोड - R0030031040001, A/c No.-10963226576	70400	70400
भुगतानी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0020- सू राजस्व सपु शीर्ष -800- अन्य प्राथिक-उप शीर्ष -0006- अन्य इकाई - प्राथमिक इकाई -75 49 भुवि निबंध शुल्क से आय विवरण कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598	550	550

-68
8-818
C-70
8-819
44
351550/-

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ द्राफ्ट
कुल राशि शब्दों में

स्थान: Danapur
तारीख: 23/4/15

* चेक/द्राफ्ट का विवरण पॉस्ट पर अंकित किया है,
* चेक/द्राफ्ट की राशि अन्तर्लिखित परमात ही मान्य होगी

FOR USE OF THE BANK

रकॉर्ड नं०
संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रूप
रूपदे प्राप्त किया

जमाकर्ता का नाम
एवं हस्ताक्षर

351550
498
351950

प्रधिकृत पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु अधिकृत चार्ज * जमा करने का विवरण

एकल अंका का: A/c No. 309786498
जमा करने को दिनांक



SBI, DANAPUR Br.-01254
RAJ KUMAR
ID No.-5998492
RECEIVED
CASH PAID
INITIALS
No.

Endorsement of Certificate of Admissibility

under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Act, 1999, Schedule I or I-A, No. '23'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 211200/-
 Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 70400/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Amt. paid through Bank Challan	Rs. 351950/-

Registration Fee									
A1	70400	C	0	H1b	0	K1a	0	L1	0
AS	0	D	0	H2	0	K1b	0	L2	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	L1	0		0
TOTAL-									70400

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 71350

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	500	400
Proc.Fee	50	
Total	550	

Date: 24/04/2015

Registering Officer
 Danapur

Endorsement under section 52

Registered for registration at Registration Office, Danapur on Friday, 24th April 2015 by Asha Devi Alias Asha Akhoury
 registered by profession Agriculture. Status - Executant

ली उर्फ आशा अखौरी
 Name/L.T.I. of Presentant
 24.4.15

Date: 24/04/2015

Registering Officer
 Danapur

Endorsement under section 58

Document is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Avinash Kumar Akhauri'
 of Sex 'M', 'Akhauri Dharnidhar', resident of 'Madipur ,mujaffarpur'.), whose Names, Photographs,
 Stamps and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date: 24/04/2015

Registering Officer
 Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 83 on pages on 77 -92 , for the year 2015 and stored
 in Volume No. CD-13 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date: 24/04/2015

Page No. : 4216

Year : 2015

Page No. : 4191

ORI Ver.3.0

Registering Officer
 Danapur
 Deed No. : _____


ONE THOUSAND RUPEES

REM1004142

पिन : २०११००१
 क्षेत्र - मुजफ्फरपुर
 पिन - मुजफ्फरपुर
 पिन - मुजफ्फरपुर
 पिन - मुजफ्फरपुर

Address: Madipur Ward 8
 Town/Vill - Muzaffarpur,
 Anchal - Muzaffarpur,
 Dist. - Muzaffarpur,
 842001

दिनांक / Date : 10/1/2012





Officer in Charge of the Office of Electoral Registration
 Office of Electoral Registration
 Office of Muzaffarpur, Constituency

१०/१/२०१२

भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD

REM1004142

निर्वाचक का नाम : अविनाश कुमार अक्षौरी
 Elector's Name : Avinash Kumar Akhauri
 पिता का नाम : अक्षौरी धरानिधर
 Father's Name : Akshori Dharanidhar
 दिनांक जन्म : १९८५
 Date of Birth : X X X X 1 9 9 5

48-417



आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख..... तक
आदेश पत्रक
जिला :- पटना सन्

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं..... 1412/सन् 2015-16.....

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
-------------------------------	---------------------------------------	---

12/06/15 श्री सती प्रभावती देवी
वत् स्व० कृष्ण देवी ग्राम व्याघ्राकोलपो पट्ट
धाना सिद्धम जिला पटना केवाला नं० 4114 दिनांक 24/04/15
के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मीजा	धाना नं०	खाला नं०	खेसरा	पुराही	लगान
कोभवा	37	86	233	0.11 बीघा	4.00 अ०००

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 20/06/15 को रखें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी दानापुर
अंचल अधिकारी दानापुर

30/06/15 नोटिश का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदक के नाम दाखिल खारिज करने की अनुरांसा किये हैं। फलतः उनके अनुरांसा के आधार पर दाखिल खारिज की जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी दानापुर
अंचल अधिकारी दानापुर

Certified to be true Copy
25/06/20

वेदक
20
खिल

1/2 189
25/06/15

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन



मु० केश नम्बर - 1412 साल - 2015-16

हल्का नम्बर 87

ग्राम - कोअरवौ

राजस्व धाना नम्बर - 87

जिला - पटना

मु० में जमीन रकबा -

प्राप्त का जरिया - कृषि-पत्र

जरशामन -

कंबाला - 4114

तिथि - 24/04/2015

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 1506
श्रीमती आशा देवी पति - श्री अविनाश कुमार ब्याप - माडीपुर मुजफ्फरपुर भाना भगवानपुर मुजफ्फरपुर	86	233	0.30 अंश	8.00	<p>मं. 12</p> <p>पानका की जाति न जात उमा जाति पर उपाय कि किताब नाम पर जाबंदी पर 30 अंश रैयत में मुजफ्फरपुर अधिनियम परमान में पंजीयत कृता का पंजीयत में मान्य स्वरान मुजफ्फरपुर अधिनियम मुजफ्फर में मुजफ्फरपुर अधिनियम की जाति न जात पर जात की जाति न जात पर जात</p>
बचा हुआ रकबा			0.05 अंश		

Jan 189
25/04/2015

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 1506
श्रीमती प्रभावती श्री पुत्री - स्व. कल्पु श्री ब्याप - बचाकेल भाना-पिठुम जिला - पटना,	86	233	0.11 अंश	4.00	<p>जिला अधिनियम मुजफ्फर पंजीयत में जात में अधिनियम त ही न जात अधिनियम मुजफ्फर कि जा अधिनियम मुजफ्फर</p>

Certified to be true Copy
 उमाशंकराण
 25/04/20
 Authenticated under sec. 6 Act of 1972

पुनर्जाता



आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख..... तक
आदेश पत्रक
जिला :- पटना सन्

केस का प्रकार दा० खा० दाद सं 1414 / सन् 2015-16

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	<u>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
-------------------------------	---------------------------------------	---

12/06/15

श्री जितेंद्र कुमार झा
वस्त् श्री देव सिधारी अर्मा ग्राम पतौना पो. सिद्धीपुर
थाना पालीगंज जिला पटना केवाला नं. 4116 दिनांक 24/04/2015

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	थाना नं	खाता नं	खेसरा	पुराजी	लगान
फोअर्वा	37	86	283	0.11 अं	4.00 अं

*Jan 196
25/06/15*

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 30.06.15 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी
दानापुर

25/06
अंचल अधिकारी
दानापुर

30/06/15

नोटिश का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदक के नाम दाखिल खारीज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारीज की (9/8/15) दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।

25/06
अंचल अधिकारी
दानापुर



25/06
अंचल अधिकारी
दानापुर

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन



मु० केश नम्बर - 1414 साल - 2015-16 हल्का नम्बर 2
 ग्राम - कोब्रवाँ, राजस्व थाना नम्बर 34
 मु० में जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - कुम-पत्र
 जरशामन - कंबाला - 4116 तिथि - 24/04/2015

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर IS06
श्रीमती आशा देवी पति - श्री अमिनाथ कुमार ब्या० - माड़ीपुर मुजफ्फरपुर थाना - भगवानपुर मुजफ्फरपुर	86	233	0.30	8.00	

श्री अमिनाथ कुमार
 पति श्री अमिनाथ कुमार
 पत्नी श्री आशा देवी
 कुम-पत्र नं० 1414
 तिथि 24/04/2015
 मुजफ्फरपुर

बचा हुआ रकबा

~~NOS~~
5/11

196
 25/04/2015

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान
श्री जितेश कुमार शर्मा पिता - श्री देव सिधारी शर्मा ब्या० - पतौना थाना पालीबाँज जिला - पटना	86	233	0.11	4.00

श्री जितेश कुमार शर्मा
 पिता श्री देव सिधारी शर्मा
 कुम-पत्र नं० 1414
 तिथि 24/04/2015
 मुजफ्फरपुर



सुनिश्चित



(Duplicate Copy):RPTCO2872885 09-Jul-2019

तिथि
Jun 27 2019

आदेश



अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा कोथवाँ धाना Patna

खाता	प्लॉट	रकबा
86	233	0 एकड़, 4 डिसमील, 0 हेक्टर
86	233	0 एकड़, 4 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
MADHESHWAR KUMAR	पिता/बाप/अबू	LATE BACHU SINGH
MANGLESHWAR SINGH	पिता/बाप/अबू	LATE BACHU SINGH

हे जिन्होंने निवधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या/शपथ पत्र 2885 दिनांक Mar 5 2019 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत


रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मधेश्वर कुमार	पिता/बाप/अबू	बच्चू सिंह
मंगलेश्वर सिंह	पिता/बाप/अबू	बच्चू सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

अतः वार्षिक लगान 15रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।। ह0 कर्मचारी पंजी॥ में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by : Mahendra Prasad Gupta
अंचलाधिपतरी Danapur




तुलना करत



जमाबंदी संख्या जमाबंदी रैयत, खता, खेसरा, रकबा एवं चौहदी का जीव किया एवं सही पया	हाँ
दाखिल झरियज के अधिलेख के साथ केवाला की छायाप्रति, विक्रेता का लगन रसीद की छायाप्रति अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आवेदक की छायाप्रति संलग्न है	नहीं
प्रश्नगत भूमि धार्मिक-सामाजिक प्रयोजनों यथा मंदिर, मस्जिद, श्मशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि के लिए उपयोग नहीं की जा रही है / की जा रही	नहीं
प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का वाणिज्यिक भौतिक दखल कब्जा है	हाँ
प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई स्वत्ववाद (टाइटल सूट) न्यायालय से दायित है अथवा नहीं	नहीं
प्रश्नगत भूमि विवादित है / नहीं है / अथवा भूमि से सम्बंधित कोई विवाद हो तो उसका विवरण	नहीं
आवेदित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है।	क्रेता
आवेदित भूमि की वर्तमान स्थित कृषि/मकान/व्यावसायिक/परती	परती
क्या उक्त भूमि रैयत खाली की है। गैरमजदुर/अ सास गैरमजदुर/अ मातिका, गैरमजदुर/अ आम सासमहत, भुइदबन्दी एवं भूदान से मुक्त है	हाँ
क्या भूमि निबन्धित केवाला / दान उत्तराधिकार / बदतैन / बीटवारा / बन्दोबस्ती से प्राप्त है	हाँ

खाला नंबर	86
हल्का का नाम	कोधर्वा
प्लोट नंबर	233
मूल खतियान रैयत का नाम	खतियान अनुपतम्ब। सरकारी भूमि का पंजी संघारित है।
जमाबन्दी रैयत का नाम	MADHESWAR
विक्रेता/दाता का नाम	MADHESHWAR KUMAR, MANGLESHWAR SINGH
जमाबन्दी रैयत से विक्रेता/दाता का संबंध	स्वयं
जमाबन्दी अभिधारी खाला पंजी 2 की जिल्द संख्या	2060
यदि आवेदित भूमि संयुक्त खाली की है तो क्या विक्रेता/दाता ने अपने अंश को जमीन विक्रयदान की है	हाँ
केवाला में दर्जित भूमि का खता, खेसरा, रकबा एवं चौहदी की जीव राजस्व अधिलेख से किया गया	हाँ
जमाबंदी संख्या जमाबंदी रैयत, खता, खेसरा, रकबा एवं चौहदी का जीव किया एवं सही पया	हाँ
दाखिल झरियज के अधिलेख के साथ केवाला की छायाप्रति, विक्रेता का लगन रसीद की छायाप्रति अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आवेदक की छायाप्रति संलग्न है	नहीं
प्रश्नगत भूमि धार्मिक-सामाजिक प्रयोजनों यथा मंदिर, मस्जिद, श्मशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि के लिए उपयोग नहीं की जा रही है / की जा रही	नहीं
प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का वाणिज्यिक भौतिक दखल कब्जा है	हाँ
प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई स्वत्ववाद (टाइटल सूट) न्यायालय से दायित है अथवा नहीं	नहीं
प्रश्नगत भूमि विवादित है / नहीं है / अथवा भूमि से सम्बंधित कोई विवाद हो तो उसका विवरण	नहीं
आवेदित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है।	क्रेता
आवेदित भूमि की वर्तमान स्थित कृषि/मकान/व्यावसायिक/परती	परती
क्या उक्त भूमि रैयत खाली की है। गैरमजदुर/अ सास गैरमजदुर/अ मातिका, गैरमजदुर/अ आम सासमहत, भुइदबन्दी एवं भूदान से मुक्त है	हाँ
क्या भूमि निबन्धित केवाला / दान उत्तराधिकार / बदतैन / बीटवारा / बन्दोबस्ती से प्राप्त है	हाँ

खाला नंबर	86
हल्का का नाम	कोधर्वा
प्लोट नंबर	233
मूल खतियान रैयत का नाम	खतियान अनुपतम्ब। सरकारी भूमि का पंजी संघारित है।
जमाबन्दी रैयत का नाम	MADHESWAR
विक्रेता/दाता का नाम	MADHESHWAR KUMAR, MANGLESHWAR SINGH
जमाबन्दी रैयत से विक्रेता/दाता का संबंध	स्वयं
जमाबन्दी अभिधारी खाला पंजी 2 की जिल्द संख्या	2050
यदि आवेदित भूमि संयुक्त खाली की है तो क्या विक्रेता/दाता ने अपने अंश को जमीन विक्रयदान की है	हाँ
केवाला में दर्जित भूमि का खता, खेसरा, रकबा एवं चौहदी की जीव राजस्व अधिलेख से किया गया	हाँ
जमाबंदी संख्या जमाबंदी रैयत, खता, खेसरा, रकबा एवं चौहदी का जीव किया एवं सही पया	हाँ
दाखिल झरियज के अधिलेख के साथ केवाला की छायाप्रति, विक्रेता का लगन रसीद की छायाप्रति अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आवेदक की छायाप्रति संलग्न है	नहीं
प्रश्नगत भूमि धार्मिक-सामाजिक प्रयोजनों यथा मंदिर, मस्जिद, श्मशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि के लिए उपयोग नहीं की जा रही है / की जा रही	नहीं



Jan 1239
17/11/24

Download

Download



बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
नामान्तरण जाँच प्रतिवेदन




July 9, 2019

नामान्तरण मुकदमा संख्या :		7393R27 /2018 - 2019					
जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Danapur	अर्जत का नाम	Danapur		
मीठा का नाम	कोथवाँ	धना नम्बर	01	धना नम्बर	Patna		
लेखासंख्या No	2885	लेखासंख्या तिथि	05/03/2019	परिवर्तन प्रकार	Gift		
खाता नम्बर	रैफ्त नाम			प्लॉट नं०	रकबा	तगान	अभ्युक्ति
88	विक्रेता का नाम 2)मंगलेश्वर सिंह,पिता/बाप/अबू-बचु सिंह, जाति-N/A, पता-BIKRAM ,। क्रैता का नाम (PRABHAWATI SHARMAपिता/बाप/अबू -LATE BACHU SHARMA, जाति- अन्य, पता-BAGHAKOL P.O PATUT THANA BIKRAM,PATNA)			233	नामान्तरण पूर्व खाता 0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर नामान्तरण पश्चात खाता 0 एकड़ 0 डिसमील 0 हेक्टर नया खाता 0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर	15	
88	विक्रेता का नाम 2)मंगलेश्वर सिंह,पिता/बाप/अबू-बचु सिंह, जाति-N/A, पता-BIKRAM ,। क्रैता का नाम (PRABHAWATI SHARMAपिता/बाप/अबू -LATE BACHU SHARMA, जाति- अन्य, पता-BAGHAKOL P.O PATUT THANA BIKRAM,PATNA)			233	नामान्तरण पूर्व खाता 0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर नामान्तरण पश्चात खाता 0 एकड़ 0 डिसमील 0 हेक्टर नया खाता 0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर	15	
88	विक्रेता का नाम 1)मंगेश्वर कुमार,पिता/बाप/अबू-बचु सिंह, जाति-N/A, पता-BIKRAM ,। क्रैता का नाम (PRABHAWATI SHARMAपिता/बाप/अबू -LATE BACHU SHARMA, जाति- अन्य, पता-BAGHAKOL P.O PATUT THANA BIKRAM,PATNA)			233	नामान्तरण पूर्व खाता 0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर नामान्तरण पश्चात खाता 0 एकड़ 0 डिसमील 0 हेक्टर नया खाता 0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर	15	
88	विक्रेता का नाम 1)मंगेश्वर कुमार,पिता/बाप/अबू-बचु सिंह, जाति-N/A, पता-BIKRAM ,। क्रैता का नाम (PRABHAWATI SHARMAपिता/बाप/अबू -LATE BACHU SHARMA, जाति- अन्य, पता-BAGHAKOL P.O PATUT THANA BIKRAM,PATNA)			233	नामान्तरण पूर्व खाता 0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर नामान्तरण पश्चात खाता 0 एकड़ 0 डिसमील 0 हेक्टर नया खाता 0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर	15	

कर्मचारी रिपोर्ट

खाता नंबर	88
हस्ता का नाम	कोथवाँ
प्लॉट नंबर	233
मूल खतियान रैफ्त का नाम	खतियान अनुपलब्ध। सरकारी भूमि का पंजी संधारित है।
जमाबन्दी रैफ्त का नाम	MADHESWAR
विक्रेता/क्रैता का नाम	MADHESHWAR KUMAR,MANGLESHWAR SINGH
जमाबन्दी रैफ्त से विक्रेता/क्रैता का संबंध	सर्व
जमाबन्दी अधिधारी खाता फी 2 की मिल्द संख्या	2050





प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई सल्लाह (टाइटल सूट) न्यायलय से दलित है अथवा नहीं	नहीं
प्रश्नगत भूमि विवादित है / नहीं है / अथवा भूमि से सम्बंधित कोई विवाद हो तो उसका विवरण	नहीं
आवेदित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है।	फ्रेण्ड
आवेदित भूमि की वर्तमान स्थित कृषिमकान्तव्यवसायिक/परती	परती
क्या उक्त भूमि रैपत खाते की है। गैरमजूरआ खास गैरमजूरआ मालिक, गैरमजूरआ आम खासमहल, भूउदबन्दी एवं भूदान से मुक्त है	हाँ
क्या भूमि निबन्धित केवाला / दान उत्तराधिकार / बदलैन / बँटवारा / बन्दोबस्ती से प्राप्त है	हाँ
खाला नंबर	86
हल्का का नाम	कोथवाँ
प्लॉट नंबर	233
मूल खतियान रैपत का नाम	खतियान अरुपतवा । सरकारी भूमि का पंजी संघारित है।
जमाबन्दी रैपत का नाम	MADHESWAR
विक्रेता/दाता का नाम	MADHESHWAR KUMAR, MANGLESHWAR SINGH
जमाबन्दी रैपत से विक्रेता/दाता का संबंध	स्वयं
जमाबन्दी अधिकारी खाला पंजी 2 की किल्ट संख्या	2060
यदि आवेदित भूमि संयुक्त खाले की है तो क्या विक्रेता/दाता ने अपने अंश को जमीन विकल्पदान की है	हाँ
केवाला में वर्णित भूमि का खता, खेसरा, रकवा एवं चौकदी की जाँच राबतव अभिलेख से क्रिया गया	हाँ
जमाबन्दी संख्या जमाबन्दी रैपत, खता, खेसरा, रकवा एवं चौकदी का जाँच क्रिया एवं सही पाया	हाँ
दाखिल खारिज के अभिलेख के साथ केवाला की छायाप्रति, विक्रेता का तगन रसीद की छायाप्रति अथवा सक्षम न्यायलय द्वारा दिए गए आदेश की छायाप्रति संलग्न है	नहीं
प्रश्नगत भूमि धार्मिक-सामाजिक प्रयोजनों यथा मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि के लिए उपयोग नहीं की जा रही है / की जा रही	नहीं
प्रश्नगत भूमि पर आवेटक का साहित्यपूर्ण भौतिक दखल कब्जा है	हाँ
प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई सल्लाह (टाइटल सूट) न्यायलय से दलित है अथवा नहीं	नहीं
प्रश्नगत भूमि विवादित है / नहीं है / अथवा भूमि से सम्बंधित कोई विवाद हो तो उसका विवरण	नहीं
आवेदित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है।	फ्रेण्ड
आवेदित भूमि की वर्तमान स्थित कृषिमकान्तव्यवसायिक/परती	परती
क्या उक्त भूमि रैपत खाते की है। गैरमजूरआ खास गैरमजूरआ मालिक, गैरमजूरआ आम खासमहल, भूउदबन्दी एवं भूदान से मुक्त है	हाँ
क्या भूमि निबन्धित केवाला / दान उत्तराधिकार / बदलैन / बँटवारा / बन्दोबस्ती से प्राप्त है	हाँ

Download


कर्मचारी का मंतव्य: उक्त भूमि रैपती है जमाबन्दी दानकर्ता के नाम से दर्ज है अत आम सुचना उपरोक्त आपति न हो तो दाखिल खारिज कि स्वकृति दी जा सकती है

अंचल नि. का मंतव्य: प्रतिवेदन अग्रसारित

कर्मचारी का हस्ताक्षर
Approved By : Dhiraj Kumar

अंचल नि. का हस्ताक्षर
Approved By : Dhiraj Kumar

Jan 1239
15/11/2019



तुलना कला



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)

ऑनलाइन
Running Unique No.: 0756740916
(Receipt No.)

समान रसीद

जिला:- Patna	अंचल:- Danapur
इल्का:- कोथरवा	मौजा :- कोथरवा
जमाबंदी सं०:- 2051	
भाग वर्तमान:- 10	मौजा/थाना सं०:- 37
पृष्ठ संख्या:- 20679	
जमाबंदी रयत का नाम:- प्रभावती शर्मा	पता:- BIKRAM ,
अभिभावक का नाम:- बच्चू शर्मा	

घाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
86	233	0 एकड़ 11 डिसमिल 0 हेक्टर

सामाना मांग(बकाया और वर्तमान) वानू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सामाना दर	बकाया	वर्तमान	रूढ़	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी समान	5.00	15.00	5.00	0.00	20.00	2016-2017 से 2019-2020
सेस(समान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	7.25	21.75	7.25	0.00	30.00	2016-2017 से 2019-2020
कुल	12.25	36.75	12.25	0.00	50.00	2016-2017 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
समान	15.00	5.00	20.00	2016-2017 से 2019-2020	
सेस(समान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	21.75	7.25	30.00	2016-2017 से 2019-2020	
कुल	36.75	12.25	50.00	2016-2017 से 2019-2020	

कुल बकाया-50.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Fifty Rupees

तिथि- 02-02-2022



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जमाबंदी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को ज़िम्मेदार नहीं माना जाएगा।



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)

ऑनलाइन
Running Unique No.: 0130318566
(Receipt No.)

समान रसीद

जिला:- Patna	अंचल:- Danapur
हल्का:- कोचबर्वा	मीना :- कोचबर्वा
जमाबंदी सं०:- 2052	
मान वर्तमान:- 10	मीना/पाना सं०:- 37
प्लट संख्या:- 29687	
जमाबंदी रयत का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा	
अभिभावक का नाम:- देवबिहारी शर्मा	पता:- PALIGANJ ,

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
86	233	0 एकड 11 डिसमिल 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) धानू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	शासना दर	बकाया	वर्तमान	रूट	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी समान	10.00	30.00	10.00	0.00	40.00	2016-2017 से 2019-2020
सेस(समान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	43.50	14.50	0.00	60.00	2016-2017 से 2019-2020
कुल	24.50	73.50	24.50	0.00	100.00	2016-2017 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
समान	30.00	10.00	40.00	2016-2017 से 2019-2020	
सेस(समान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	14.50	60.00	2016-2017 से 2019-2020	
कुल	73.50	24.50	100.00	2016-2017 से 2019-2020	

कुल बकाया-100.00

वसूल की गयी राशि सख्याँ में- One Hundred Rupees

दिधि- 18-01-2020



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल छापी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलधिकारी से संपर्क करें।



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)

ऑनलाइन
Running Unique No.: 0277357779
(Receipt No.)

समान रसौद

जिला:- Patna	अंचल:- Danapur
दफ्तर:- कोयवाँ	मौजा :- कोयवाँ
जमाबंदी सं०:- भाग वर्तमान:- 14 पूठ संख्या:- 16	मौजा/याना सं०:- 37
जमाबंदी रवेत का नाम:- PRABHAWATI SHARMA अभिज्ञापक का नाम:- LATE BACHU SHARMA	पता:- BAGHAKOL P.O PATUT THANA BIKRAM, PATNA

खाता संख्या	चेसरा संख्या	रकबा/डिगमिल
86	233	0 एकड़ 8 डिगमिल 0 इंच

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) धानू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सासना दर	बकाया	वर्तमान	रूद	कुल	अभिवृत्ति(बकाया का वर्ष काद से काद तक)
जमाबंदी समान	15.00	15.00	15.00	0.00	30.00	2018-2019 से 2019-2020
सेस(समान का 50 प्रतिशत न्यायस्थ सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	21.75	21.75	21.75	0.00	50.00	2018-2019 से 2019-2020
कुल	36.75	36.75	36.75	0.00	80.00	2018-2019 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष काद से काद तक)	अभिवृत्ति
समान	15.00	15.00	30.00	2018-2019 से 2019-2020	
सेस(समान का 50 प्रतिशत न्यायस्थ सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	21.75	21.75	50.00	2018-2019 से 2019-2020	
कुल	36.75	36.75	80.00	2018-2019 से 2019-2020	

कुल बकाया-80.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Eighty Rupees

तिथि- 02-07-2019



यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र वैधता प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायस्थ में साक्ष के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अपुष्टियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें।